FORM-1

(For linear projects)

Government of Uttarakhand **Office of the District Collector Uttarkashi**

No 114/2016

Dated 23-6-2016

TO WHOW SO EVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.280 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Barkot for the Construction of the road from NH-123 to PAUL GAON road (2.50 Km) in Uttarkashi district falls within jurisdiction of Gram Sabha PAUL GAON village in Barkot tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it; \

(c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- As above.

जिलाधिकारी

Signature उत्तरकाशी

(Full name and official seal of the District Collector)

Shri Dipendra Kumar Chaudhary(I.A.S)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand **Office of the District Magistrate**

No 114/2016 **Dated** 23-6-2016

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.280 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Barkot for the construction of road from NH-123 to Paulgaon Motor Road(2.50Km) in Uttarkashi district falls within jurisdiction of paulgaon village in Barkot tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.280 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V annexure 23.2, 23, 23.1

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the garm sabha of Chichrad villages(s) is enclosed as annexure..... To annexure......

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl :- As above.

जिलाधिकारी
Signature उत्तरकाशी
(Full name and official seal of the District Collector)
Shri Dipendra Kumar Chaudhrary (I.A.S)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkarshi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dipendra Kumar Chaudhary I.A.S District Magistrate, UTTARKASHI on dated 23-6-16. at time ..11:00....at Uttarkashi In which application claiming rights in measuring 1.750 Area hect for the construction of the road from NH-123 to PAUL GAON ROAD forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Barkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...Uttarkashi............

Dated:..23-6-2016..........

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
Shri Dipendra Kumar Chaudhary (I.A.S)

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
जिला स्तरीय समिति उत्तरकाशी

आज दिनांक 8/6/16 को जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा यमुनोत्री में **राष्ट्रीय राजमार्ग–123 के कि0मी0(174) से पॉलगांव तक सम्पर्क मार्ग के** निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव 0.280है0 है। इस सम्बन्ध में वनाधिकारी अधिनियम–2006 एवं नियम–2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति ।

क0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	2	3	4
1.	श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	[illegible]
2.	श्री डी0के0 सिंह	प्रभागीय वनाधिकारी,अपर वन प्रभाग बडकोट।	[illegible]
3.	श्री नरेन्द्र कुमार यादव	जिला समाज कल्याण अधिकारी।	[illegible]
4.	श्री जितेन्द्र राणा	जिला पंचायत सदस्य टकनौर।	[illegible]
5.	श्रीमती अनिता गुसांई	जिला पंचायत सदस्य कन्सेण, उत्तरकाशी।	अनीता [illegible]
6.	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य डख्याट गांव।	[illegible]

परियोजना का नाम	:–	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र–यमुनोत्री में राष्ट्रीय राजमार्ग–123 से पॉलगांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बडकोट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, बडकोट

उपखण्ड बड़कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123 से पॉलगांव तक सम्पर्क मार्ग (0.245हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.035हे0 सिविल एवं सोयम भूमि, 0.000 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.280हे0 वन भूमि) का **लो0नि0वि0** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बड़कोट) की दिनांक ~~20-2-2016~~ 03-03-2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राजकुमार पाण्डे उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

नम	पद नाम	हस्ताक्षर
श्री राजकुमार पाण्डे उपजिलाधिकारी बड़कोट	अध्यक्ष	RKPandey (उप जिला अधिकारी बड़कोट (उत्तरकाशी))
श्री जी०पी० सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी बड़कोट वन प्रभाग	सदस्य	(उप प्रभागीय वनाधिकारी)
श्री प्रणव रावत सहायक समाज कल्याण अधिकारी बड़कोट	सदस्य / सचिव	(सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड नौगांव (उत्तरकाशी))
श्री प्रदीपसिंह जयाड़ा क्षे०प०स०	सदस्य	प्रदीप (प्रदीप जयाड़ा सदस्य क्षेत्र पंचायत–उपराड़ी वि०ख० नौगाँव (उत्तरकाशी))

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 123 से पॉलगांव तक सम्पर्क मार्ग परियोजना हेतु 0.280हे0 वन भूमि **लो0नि0वि0** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बड़कोट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बड़कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 123 से पॉलगांव तक सम्पर्क मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.280हे0 वन भूमि **लो0नि0वि0** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

RKPandey
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– बडकोट
जनपद– उत्तरकाशी
(उप जिला अधिकारी बड़कोट (उत्तरकाशी))

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

RKPandey
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– बडकोट
जनपद– उत्तरकाशी
(उप जिला अधिकारी बड़कोट (उत्तरकाशी))

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम	:—	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र–यमुनोत्री में राष्ट्रीय राजमार्ग–123 से पॉलगांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम पॉलगांव
तहसील बडकोट, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **उत्तरकाशी** के अर्न्तगत **राष्ट्रीय राजमार्ग–123 से पॉलगांव तक सम्पर्क मार्ग की** परियोजना के निर्माण हेतु (0.245 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.035 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि, 0.000 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.280 हे0 वन भूमि) का **लो0नि0वि0** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पॉलगांव द्वारा दिनांक 7-2-2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पौलगाँव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
नौगांव

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत बड़कोट (पौलगांव)
क्र0
दि0
विकास खण्ड-नौगांव (उत्तरकाशी)

प्रपत्र 30.5

दिनांक 7-3-16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत पॉलगांव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	केशवानन्द जगुड़ी	केशवानन्द
2	बृजमोहन भट्ट	बृजमोहन भट्ट
3	मोहन राम जगुड़ी	मोहनराम
4	घनश्याम प्रसाद भट्ट	[illegible]
5	दिनेश नौटियाल	दिनेश
6	[illegible]	[illegible]
7	रामचन्द्र जगुड़ी	रामचन्द्र जगुड़ी
8	मस्तराम जगुड़ी	[illegible]
9	शम्भू प्रसाद	[illegible]
10	जीवा नन्द	[illegible]
11	राम शंकर	राम शंकर
12	राजेन्द्र प्रसाद	राजेन्द्र प्रसाद
13		
14	बृजभूषण जगुड़ी	[illegible]
15	रमेश नौटियाल	रमेश नौटियाल
16	लक्ष्मी प्रसाद जगुड़ी	लक्ष्मी प्रसाद
17	गोपाल प्रसाद	[illegible]
18	कमलेश्वर प्रसाद	[illegible]
19	रामनारायण	[illegible]
20	जयप्रकाश जगुड़ी	[illegible]
21	श्री जगदीश प्रसाद जगुड़ी	[illegible]
22	श्री हरि कृष्णा जगुड़ी	[illegible]
23	सुनील प्रसाद	[illegible]
24	दुर्गा प्रसाद	दुर्गा प्रसाद
25	भगवती प्रसाद	[illegible]

26- शान्ति प्रसाद

27- राजाराम जगुड़ी

ग्राम प्रधान

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
नौगांव

प्रधान ग्राम पंचायत बड़कोट (पौलगांव)
क्र0............
दि0............
विकास खण्ड-नौगांव (उत्तरकाशी)

परशुराम	[illegible]
आनन्द जगुडी	[illegible]
विजय जगुडी	विजय
सुन्दर प्रसाद भट्ट	सुन्दर प्र

परियोजना का नाम	:–	जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र–यमुनोत्री में राष्ट्रीय राजमार्ग–123 से पॉलगांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण से सम्बन्धित ग्राम सभा की बैठक में सर्वसहमति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सम्पर्क मार्ग जनहित में अतिआवश्यक है तथा मार्ग निर्माण में आने वाली समस्त नाप भूमि को वर्तमान संर्किल दरों पर लो0नि0वि0 विभाग को देने को सहमत है।

अतः मार्ग निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

प्रधान ग्राम पंचायत बड़कोट (पौलगांव)
ह0..........
दि0..........
विकास खण्ड–नौगांव (उत्तरकाशी)

ह0

ग्राम प्रधान की मोहर

प्रधान ग्राम पंचायत बड़कोट (पौलगांव)
ह0..........
दि0..........
विकास खण्ड–नौगांव (उत्तरकाशी)

ग्राम प्रधान की मोहर